उत्तर प्रदेश शासन

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

संख्या-25/2018/830/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2018

लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल, 2018

<u>अधिसूचना</u>

विभिन्न जैव ऊर्जा परियोजनाएं जैसे बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस/बायो सी.एन.जी., प्राडयूसर गैस, बायो कोल(पैलेट्स तथा ब्रिकेटस) उत्पादन इकाईयों द्वारा जैव ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को उत्तरोत्तर रूप से कम करने, अतिरिक्त रोजगार सृजन तथा आर्गनिक खेती हेतु आवश्यक इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम उक्त परियोजनाओं के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन के प्रक्रिया दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1- 2018-2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्त शासनादेश में इंगित उपर्युक्त जैव ऊर्जा परियोजना उत्पादन इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु उद्यमिता मोड में कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के अनुपालन के क्रम में जारी अधिसूचना संख्या : संख्या-706/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के संलग्नक -1 में अंकित आवेदन पत्र प्रारूप के बिन्दु सं0-द-03 को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

वर्तमान विवरण	संशोधित विवरण
''प्रस्तावित उद्यम हेतु भूमि के कागजात (पंजीकृत लीज/रजिस्ट्री के कागजात ही अनुमन्य होगें)''	''प्रस्तावित उद्यम हेतु भूमि के कागजात (पंजीकृत लीज/पंजीकृत विक्रय समझौता प्रपत्र प्रपत्र (Registered Agreement to Sale) / रजिस्ट्री के कागजात ही अनुमन्य होगें)।''

3- अधिसूचना संख्या-706/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के शेष अन्य प्राविधान यथावत रहेंगें।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांकःतदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।
10. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, योजना भवन, लखनऊ।
11. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अनुभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in